पत्रावली [illegible] सूचित किया जावें।
पत्रावली [illegible] ग्राम पंचायत भीमगढ़
में दिनांक 17/11/21 को पेश हों।

17/11/21 पत्रावली पेश पत्रावली गंधारी के साथ अभिलेख प्रविष्ट भीमगढ़ में पेश हुई। वादी स्वयं हाजिर होकर कार्ड महकमा पर नोट पेश कर प्रेम [illegible] कर कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन किया गया जिनकी तस्दीक ग्राम पंचायत भीमगढ़ सरपंच द्वारा की गई। पत्रावली का अवलोकन किया। मनन किया। वादी स्वयं अपना वाद आगे नहीं चलाना चाहता है ऐसी स्थिति में वादी का निवेदन स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53(2) RTA 1959 के विरोध में खारिज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्धारित इन्द्राज की जाकर एवं आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार की जावे। निर्णय खुले मजमे में प्रविष्ट भीमगढ़ के सुनाया गया।

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

नारायण लाल

सरपंच
ग्राम पंचायत भीमगढ़
(पं.स. राशमी, जि.-चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2021.11.23 12:16:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner